57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1777—दो/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20.12.2010 न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 67/अपील/2008—09

.....

महादेइया पिता रिचकवा साकेत
निवासी ग्राम निगरी तहसील
देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

---- आवेदक

विरूद्ध

1—नन्हकी साकेत पुत्री रामसुन्दर साकेत पत्नी
जगदीश साकेत निवासी ग्राम निगरी तहसील
देवसर जिला सिंगरौली म0 प्र0
2—कृष्ण देव साहू तनय रामस्वरूप साहू
3—उदित नारायण साहू पिता रामस्वरूप साहू
निवासीगण ग्राम निगरी तहसील
देवसर जिला सिंगरौली म0 प्र0
4—जे0 पी0 निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
निगरी जिला सिंगरौली म0 प्र0

---- अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक—1
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक—1, 2 एवं
श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक —1, 2

.....

आदेश
(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.10 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार के न्यायालय में विकी टीप दिनांक 26.03.1990 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 87/अ–6/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 11.04.02 द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामांतरण कर दिया, किन्तु बाद में अनावेदक कमांक 2 व 3 कृष्ण देव व उदित नारायण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 32 एवं 51 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के आधार पर दिनांक 18.08.03 को प्रकरण कमांक 87/अ–6/2001–02 के द्वारा पूर्व में उसके पक्ष में हुये नामांतरण को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनावेदक कमांक 1 एवं अनावेदक कमांक 2 व 3 के पक्ष में हुये नामांतरण आदेश सहित तहसीलदार के दोनों आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया। इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रकरण कमांक 67/अपील/2008–09 प्रस्तुत की गई थी जो आदेश दिनांक 20.12.10 से स्वीकार की गई। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत लेख किया गया है कि विवादित आराजी कमांक 129/9 रकवा 2.023 है0 के मालिक वह भूमि स्वामी आवेदिका के पिता रिचकवा साकेत निवासी निगरी था, तथा उसके द्वारा कभी भी अनावेदक कमांक 2, 3 के हक में पंजीकृत विकय पत्र नहीं कराया है, यदि कोई विकय पत्र अनावेदक कमांक 2 व 3 द्वारा अपने नाम से तथा कथित रूप से निष्पादित करा लिया है, तो वह विधि विरूद्ध है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा बिकी टीप दिनांक 26.03.1990 के आधार पर तहसीलदार के समक्ष उपरोक्त भूमि का नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमांक 87/अ–6/2001–02 पर पंजीबद्व किया जाकर आदेश दिनांक 11.04.02 से स्वीकार किया गया, किन्तु बाद में अनावेदक कमांक 2, 3 द्वारा धारा 32 एवं धारा 51 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 18.08.03 से प्रकरण में पारित पूर्व नामांतरण आदेश दिनांक 11.04.02 निरस्त कर दिया। उपरोक्त आदेश निरस्त किये जाने से पूर्व आवेदिका को सूचंना सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित तर्को में यह भी आधार लिया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.03 के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 नन्हकी द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो पारित आदेश दिनांक 15.10.08 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 11.04.02 एवं 18.03.03 तथा सरपंच ग्रम पंचायत निगरी के प्रस्ताव कमांक 02 आदेश दिनांक 11.09.2000 निरस्त करते हुये पूर्व भूमि स्वामी महादेईया पिता रिचकवा साकेत के नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उपरोक्त आदेश अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा ऐसे आदेश को निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि आवेदिका द्वारा वादगस्त भूमि को पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 29.08.08 से बिकी करके अपना हक अनावेदक कमांक 2 व 3 को दे दिया गया है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि वरूिद्व होने से निरस्त किया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपर आयुक्त द्वारा अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर आदेश पारित किया है, आवेदिका द्वारा कोई विकय पत्र अनावेकगण के हित में पंजीकृत नहीं कराया गया है, बल्कि अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर जो कार्यवाही की जकार आदेश पारित किया है वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है क्यों कि अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर केता को कोई अधिकार एवं स्वत्व प्राप्त नहीं होते इस संबंध में 1982 आर0 एन0 238 मान0 उच्च न्यायालय एवं 1995 आर0 एन0 164 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में यह भी उल्लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2008

विधिवत् एवं उचित है क्यों कि उपरोक्त आदेश में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं विधि के निहित प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त वैधानिक आदेश को अपास्त करने में अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.04.02 एवं 18.08.03 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत निगरी के प्रस्ताव कमांक 02 निर्णय दिनांक 11.09.2000 विधिवत एवं उचित नहीं है क्यों कि उपरोक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व आवेदिका को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है इस प्रकार उपरोक्त आदेश नैसर्गिक सिद्वांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त कियें जाने योग्य है, इस संबंध में 2000 आर0 एन0 177 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है। नामांतरण प्रकरण में हितबद्व व्यक्ति को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है चूंकि इस प्रकरण में जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये हैं उसमें हितवद्व व्यक्ति/आवेदिका को व्यक्तिगत सूचना पत्र नहीं दिया गया है, जबकि हितबद्ध व्यक्ति को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिये जाने का प्रावधान है, इस संबंध में 2000 आर0 एन0 77 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। अपने तर्क में यह भी लेख किया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश किसी भी स्थिति में स्थिर नहीं रखा जा सकता क्यों कि उपरोक्त आदेश अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर पारित किया गया है जबकि कानून में अपंजीकृत विकय पत्र को मान्यता नहीं दी गई है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि आवेदिका के पिता रिचकवा साकेत के नाम दर्ज थी रिचकवा साकेत की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में वारिसाना नामांतरण आवेदक के हित में किया गया है इसी संबंध में विधिवत आदेश अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी द्वारा पारित किया गया है जो विधिवत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जानें एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.10 निरस्त किये जाने तथा अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.08 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक कमांक–1 के अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदिका के पिता से अनावेदक कमांक –1 द्वारा 14 हजार रूपये में सन् 1990 में कय की

थी जिसे राजस्व रिकार्ड में आराजी 122/9 रकवा 2.023 है0 का नामांतरण अज्ञानवस नहीं करा सकी क्यों कि अशिक्षत होने के कारण परिणामतः उक्त आराजी रिचकवा के नाम ही दर्ज रही उसकी मृत्यु के बाद आवेदिका कमांक 1 छल से अपने नाम दिनांक 11.4.02 में करा लिया परन्तु वास्तविक सेलडीड नन्हकी के नाम रिचकवा कर चुका था मृत्यु से पूर्व में ही अनावेदक के हक में रजिस्टर्ड विकय पत्र निष्पादित किया है जो कि विधि सम्मत है । अंत में उनके द्वारा यह भी कहा गया है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 2 निर्णय दिनांक 11.9.2000 को सही मानकर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव के आधार पर नामांतरण स्थिर रखा गया है। अंत में अनुरोघ किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5–अनावेदक कमांक 1, 2 के अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उक्त विवादित भूमि आराजी नम्बर 122/9 रकवा 2.023 है0 आवेदिका द्वारा दिनांक 29.8.2000 को अनावेदक कमांक 2, 3 को उक्त विवादित भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विकयपत्र द्वारा विधिवत विकय कर कब्जा सौंप दिया गया था तब से आज दिनांक तक अनावेदक कमांक 2 एवं 3 उक्त विवादित भूमि पर काबिज कास्त हैं। आवेदिका द्वारा संपादित विकयपत्र दिनांक 29.8.2000 के आधार पर अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा उक्त भूमि कय पश्चात विधिवत राजस्व अभिलेखों में ग्राम पंचायत निगरी के प्रस्ताव कमांक 2 दिनांक 11.9.2000 से महादेइया की सहमति से स्वत्व की आराजी का नामांतरण अनावेदक कमांक 2 व 3 कृष्ण देव एवं उदित नारायण पुत्रगण श्री रामस्वरूप साहू के नाम स्वीकार किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा खसरा की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। उक्त विवादित भूमि शासन द्वारा जी0 पी0 पॉवर प्लांट के लिये भू–अर्जन की गई एवं उक्त भूमि का मुआवजा भू–अर्जित भूमि के भूमिस्वामी को दिया जाना था जो कि अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा त्रुटिवस पूर्व भूमिस्वामी आवेदिका के नाम का भूलवश अवार्ड बना दिया गया जबकि वर्तमान में उक्त विवादित अधिकृत भूमि अनावेदक कमांक 2 व 3 के नाम शासकीय अंभिलेखों में दर्ज है जो कि आवेदिका द्वारा विधिवत विकीत की गई है जिसकी रजिस्ट्री की छाया प्रति संलग्न की गई है। अपनी लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा आवेदिका के पक्ष में पारित किये गये अवार्ड एवं विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक

11.4.2000 एवं दिनांक 18.8.03 को निरस्त करने के कारण हुये विवाद के विरूद्व अनावेदक कमांक 2, 3 द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा पारित अवार्ड एवं आदेश दिनांक 11.4.2000 एवं 18.8.03 को निरस्त करने एवं पूर्व भूमिस्वामी महदेइया पिता रिचकवा के नाम दर्ज करने के आदेश नियम विरूद्व होने के कारण निरस्त कर दिये गये हैं एवं अनावेदक कमांक 2 व 3 के पक्ष में हुये ग्राम पंचायत निगरी के प्रस्ताव कमांक 2 निर्णय दिनांक 11.9.2000 को याथावत रखा गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदिका की निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 20.12.10 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

6–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के लेखी बहस का अध्ययन किया तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदक कमांक 2, 3 के अधिवक्ता द्वारा तर्क में एवं लेखी बहस में व्यक्त किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में उन्हें सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह गौर नहीं किया गया कि अनावेदक कमांक 2, 3 वादग्रस्त भूमि नम्बर 122/2.023 है0 को आवेदिका महादेइया पिता रिचकवा से विधिवत रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 29.8.2000 को कय करने के उपरांत उक्त भूमि का नामांतरण ग्राम पंचायत निगरी के प्रस्ताव कमांक 2 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2000 को कराकर मौके पर काबिज दखील होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज चले आ रहे है तथा खसरों में भी उनका नाम निरंतर दर्ज चला आ रहा है, किन्तु तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक –1 के नाम अपजींकृत बेची टीप के आधार पर आवेदिका को बिना सुनवाई के अवसर दिये नामंतरण कर दिया गया था। प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अनावेदक कमांक 2, 3 द्वारा विकय पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है इससे यह तो स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा अनावेदक कमांक 2, 3 के पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 29.8.2000 को निष्पादित किया गया है जिसके विरूद्व कोई वाद किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और अनावेदक कमांक 2, 3 के पक्ष में हुये नामांतरण दिनांक 11.9.2000 के विरूद्व भी किसी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं

दी गई है। अतः आवेदिका द्वारा वादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.8.2000 से विकी करके अपना हक अनावेदक कमांक 2 एवं 3 को सौंप चुकी है। इससे स्पष्ट है कि इस ओर अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है और विधि की गंभीर भूल की गई है तथा उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है जो अपर आयुक्त रीवा द्वारा निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 20.12.10 स्थिर रखने योग्य है।

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 67/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 20.12.10 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा अनावेदक कमांक 2 कृष्ण देव एवं अनावेदक कमांक 3 उदित नारायण के पक्ष में ग्राम पंचायत निगरी के प्रस्ताव कमांक–2 में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2000 यथावत रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर